

कार्यालय जिला कलक्टर (भू0अ0) बून्दी

संख्या : 10

दिनांक: 14/01/2019

—: आदेश :-

निबन्धक महोदय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक: राम/भू0अ0/परीक्षा/प-279/2017/388-420 दिनांक 10.01.2019 के निर्देशानुसार इस जिले में सीधी भर्ती पटवार परीक्षा 2015 में पटवार प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चयनित निम्नांकित आशार्थियों को राजस्थान लेण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 4 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु " पटवारी " के पद पर नियुक्त किया जाता है :

1. यह नियुक्ति राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकॉर्ड) रूल्स 1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशो/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जाएगा एवं अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत संदत्त होंगी।
3. प्रशिक्षण प्रारम्भ होने पर प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी एवं प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएँ नियमित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएँ नियमित नहीं की जायेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थियों को इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएँ अर्पण करनी होंगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धन राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
5. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.7(3)कार्मिक/क-2/2006 दिनांक: 30.6.2006 के अनुसार विवाह के संबंध में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र / प्रपत्र-6 में शपथ पत्र तथा विवाहित होने की स्थिति में कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 एवं समसंख्यक दिनांक 13.08.04 के क्रम में संतान सम्बन्धी घोषणा पत्र एवं उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. धूम्रपान / तम्बाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा।
7. उपस्थिति के साथ राज्य सेवा में स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट (योग्य) होने सक्षम अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो सी.एम. एण्ड एच.ओ. अथवा पी.एम.ओ. के हस्ताक्षर से जारी किया हुआ हो।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी दिनांक 21.01.2019 को आवश्यक रूप से इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
9. इन्हें उपस्थिति के समय कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. चिकित्सा भत्ता देय नहीं होगा एवं राज्य बीमा/जीपीएफ की कटौती नहीं की जावेगी तथा अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी।
11. परिवीक्षा काल में इन्हें एक कलेण्डर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे।
12. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(Handwritten signature)

